HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1684/2025

Shubham Bhaskar S/o Shri Phool Singh Bhaskar, Age - 32 Years, R/o Birodi Choti Via Bidasar, Tehsil Laxmangarh, District Sikar, Rajasthan

----Claimant/Appellant

Versus

1. Sonu S/o Shri Alisher, Age - 30 Years, R/o Near Khaniyan Masjid, Kachhi Basti, NBC Road Jaipur And House Number 78, Rawal Ji Ki Bagichi Hatwara Hasanpura, NBC Road Jaipur, Rajasthan (Driver)
2. Madan Singh S/o Shri Manohar Lal, Age - 49 Years, R/o House Number 279, Rai Colony Kachhi Basti Hasanpura-C, Jaipur (Owner)
3. National Insurance Company Limited, Through Manager, Regional Office, Beema Bhawan, Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur (Insurance Company)

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Ritesh Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Ravindra Kumar Tomar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

04/05/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय **मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (विशिष्ठ न्यायालय, सा.दं.प्र.), जयपुर महानगर, जयपुर** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–197/2018, शुभम भास्कर बनाम सोनू व अन्य** में पारित निर्णय **दिनांक 13.11.2024** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 80,30,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने

हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को **कुल 31,99,731/— रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी मासिक आय 5,226/— रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी स्वयं का इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य कर 20,000/— रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। दुर्घटना में अपीलार्थी के हाथ—पैर में अस्थिभंग व अन्य गंभीर चोटें कारित हुई है, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 40 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख—सुविधा की कमी के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 40 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श—18 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar**

Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr. reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक आय 5,226/– रुपये निर्धारित की है, किंतु दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष 10 माह थी तथा वह बी.टेक. डिग्रीधारी था और स्वयं का मोबाइल रिपेयरिंग का कार्य करता था। इन परिस्थितियों यह न्यायालय घटना की दिनांक 15.07.2016 को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना अपीलार्थी को कुशल श्रमिक

होना मानते हुए उसकी मासिक आय 221 x 30 = 6,630/– रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझती है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार, अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित मासिक आय **6,630/– रुपये** पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत **2,652/– रुपये** की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार कुल शुद्ध मासिक आय **9,282/– रुपये** निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति गणना का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के हाथ–पैर व शरीर के विभिन्न भागों में गंभीर चोटें कारित हुई हैं। अपीलार्थी के कारित चोटों के सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 40 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदर्श–18 के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी की 40 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता के आधार पर आय की क्षति भी 40 प्रतिशत ही मानी है। अतः अपीलार्थी को 40 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता होने के आधार पर हम भी अपीलार्थी को आय की क्षति 40 प्रतिशत होना पाते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी की मासिक आय 9,282/– रुपये का 40 प्रतिशत **3,713/– रुपये** होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है।

9. वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष 10 दिवस होना जाहिर है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी की आयु 26 से 30 वर्ष के मध्य मानते हुए आश्रित आय की क्षति की गणना हेतु 17 के गुणक का प्रयोग किया गया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष तो थी लेकिन उसने 26 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की थी। इस कारण क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु अपीलार्थी को 21 से 25 वर्ष के आयु वर्ग में रखा जाकर 18 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित था।

10. इस संबंध में हमारा मानना यह है कि वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 25 वर्ष से तो अधिक थी, किन्तु अपीलार्थी पूर्ण रूप से 26 वर्ष आयु का नहीं हुआ था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत

M.H. Uma Maheshwari & Ors. Vs. United India Insurance Co. Ltd. & Anr. reported in **2020 (2) R.A.R. 185 (SC)** में यह मत व्यक्त किया है कि :–

> "**9.** The Tribunal, by recording a finding that the deceased was in the age group of 40 to 50 years, applied the multiplier of 13 while calculating the compensation. The High Court, curiously while maintaining the multiplier of 13 as per the judgment of this Court in compensation only on the ground that the deceased was aged 50 years 3 months on the date of the accident, as such the compensation is to be calculated on account of loss of dependency by granting future prospects at 15% but not 30%. So far as the application of multiplier of 13 by the Tribunal is concerned, the High Court has not interfered with the same. When the age of the deceased was considered in the group of 40 to 50 years, we are of the view that the High Court has committed error in granting only 15% towards future prospects instead of 30%. As per the judgments of this Court, primarily the age group is to be considered. Considering the age group as 40 to 50 years, when the multiplier of 13 is maintained by the High Court, there is no reason or justification for reducing the compensation by granting 15% towards future prospects. Though the learned counsel appearing for Respondent 1 Insurance Company has submitted that the compensation towards future prospects was awarded as per the Constitution Bench judgment of this Court in National Insurance Co. Ltd. v. Pranay Sethi[3] but at the same time it is to be noticed that in the very same judgment in para 59.3, while considering the grant of future prospects, this Court has specifically said that the addition should be 30% if the age of the deceased was in the age group of 40 to 50 years. For application of multiplier, the High Court has also accepted the age group of the deceased between 40 and 50 years. In

that view of the matter, there is no reason for reducing the compensation by granting future prospects at 15% only."

11. ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121, एम.एच. उमा महेश्वरी (उपरोक्त)** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **18 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **8,702 x 12 x 18 = 15,66,360/– रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को मेडिकल बिलों की मद में 21,06,703/– रुपये व पौष्टिक आहार की मद में 53,000/– रुपये तथा यातायात की मद में 50,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 5,00,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है। उक्त राशि को हम भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी की मद में तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में आंका जाना उचित समझते हैं।

14. दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी 106 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी को 106 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 600/– रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 63,600/– रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को परिचारक/सहायक की मद में 63,600/– रुपये की राशि दिलवाई गई है। दुर्घटना के पश्चात अपीलार्थी चलने–फिरने, उठने–बैठने व दैनिक कार्य करने में दूसरों के सहारे जीवन जीने हेतु बाध्य हो गया है। अपीलार्थी के डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श–22 के अनुसार अपीलार्थी को ऐसी बीमारी हो गई है जो दीर्घकालिक प्रकृति की है। अपीलार्थी के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रदर्श–22 लगायत 28 से स्पष्ट है कि

अपीलार्थी को दुर्घटना के बाद प्रत्येक वर्ष अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। जहां उसकी चोटों में ''पस'' पड़ जाने पर उसे निकलवाना पड़ता है। इसलिए अपीलार्थी को दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप भविष्य में इलाज की आवश्यकता रहेगी तथा उसके अस्पताल में भर्ती होने की भी पूर्ण संभावना है, जिसके लिए उसे अस्पताल में एक सहायक के साथ आवागमन भी करना पडेगा। अतः भविष्य में होने वाले इलाज के खर्च की मद में हम अपीलार्थी को 1,00,000/– रुपये व भविष्य में होने वाले यातायात व्यय की मद में 50,000/– रुपये तथा परिचारक/सहायक की मद में 1,00,000/– रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि की मद में अपीलार्थी को कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसका इलाज करीब 4 माह तक चला है। इस दौरान उसका एक ऑपरेशन भी हुआ है। इस प्रकार अपीलार्थी करीब 4 माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम 4 माह की आय की हानि के मद में 6,630 x 4 = 26,520/– रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. मामले की घटना में लिप्त वाहन संख्या आरजे–14 एच.डी.–2593, प्रत्यर्थी संख्या–2 के स्वामित्व का था तथा वक्त घटना प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वैध व प्रभावी अनुज्ञापत्र के बिना उक्त वाहन का चालन किया जा रहा था, जो कि बीमा कम्पनी की बीमा पॉलिसी का स्पष्ट उल्लंघन है। बीमा पॉलिसी की शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा ''पे एण्ड रिकवर'' के सिद्धान्त के आधार पर बीमा कम्पनी को आदेश दिया है कि वह क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी याची/अपीलार्थी को अदा करें व उसके उपरांत अदा की गई राशि वाहन चालक प्रत्यर्थी संख्या–1 व वाहन स्वामी प्रत्यर्थी संख्या–2 से वसूल कर लेवें। विद्वान अधिकरण द्वारा ''पे एण्ड रिकवर'' के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

18. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि**
1.	भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में	15,66,360/– रुपये
2.	मेडिकल बिलों की मद में	21,06,703/– रुपये
3.	पौष्टिक आहार की मद में	53,000/– रुपये
4.	परिवहन व्यय की मद में	50,000/– रुपये
5.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी की मद में	5,00,000/– रुपये
6.	106 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	63,600/– रूपये
7.	भविष्य उपचार खर्च की मद में	1,00,000/– रूपये
8.	भविष्य परिवहन व्यय की मद में	50,000/– रूपये
9.	परिचायक/सहायक की मद में	1,00,000/– रूपये
10.	4 माह की आय की हानि की मद में	26,520/– रुपये
11.	**इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि**	**46,16,183/– रुपये**
12.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	31,99,731/– रुपये
13.	**बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर**	**14,16,452/– रुपये**

19. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **31,99,731/– रूपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **46,16,183/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

20. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

21. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

22. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

23. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

KESHAV VERMA /27